# दूसरी अनुसूची <br> THE SECOND SCHEDULE 

[नियम 3 (एच) देखें]/[See Rule 3 ( $h$ )]
फार्म $1 /$ FORM 1
( नियम 14 देखें)/(See Rule 14)

## अवकाश अथवा अवकाश बढ़ाने हेतु आवेदन APPLICAIION FOR LEAVE OR FOR EXTENSION OF LEAVE

1. प्रार्थी का नाम Name of applicant
2. पद

Post held
3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग

Department, Office and Section
4. वेतन

Pay
5. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया और अन्य

प्रतिकर भत्ते
House rent and other compensatory allowances drawn in the present post
6. मांगे गए अवकाश की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
Nature and period of leave applied for and date
from which required
7. रविवार और अवकाश के दिन. यदि कोई हों, जिन्हें अवकाश से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।
Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed/ suffixed to leave
8. अवकाश का कारण

Grounds on which leave is applied for
9. पिछले अवकाश से लौटने की तारीख और उस अवकाश की किस्म और अवधि
Date of return from last lease and the nature and period of that leave
10. मेरा विचार आगामी अवकाश मे ब्लाक
वर्षों के लिए अवकाश यात्रा रियान लेने का है/नहीं है।
I propose/do not propose to avail myself of leave
travel concession for the block sars.
during the ensuing leave.
11. अवकाश के दौरान पता

Address during leave period

तारीख
Đate...

प्रार्थी के हस्ताक्षर
Signature of Applicant
12. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश

Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer

## अवकाश की अनुमत्यता के बारे से प्रमाण-पत्र <br> CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE


अनुमत्य है।
Certified that. $\qquad$ (Nature of leave) for.
(Period) from .to is admissbe under Rule $\qquad$
of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
तारीख
Date. $\qquad$ हरत्ताक्षर/ Signature
पदना/Designation $\qquad$
*14. अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के आदेश।
Orders of the authority competent to grant leave.

तारीख
Date. $\qquad$ हस्तास्सर Signature

पदनगः / Sesignation

* यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता है तो मंजूरी करने वाले आधंकारी का यह लिखना चाहिए कि अवकाश पूरा होने पर प्रार्थी को उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकाए का भत्ता मिलता हो।
*If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders on the expiry of leave, the Government servant is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowance.

